



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर गांजा तस्करी करने वाले अभियुक्त को **10 माह के कठोर कारावास व ₹ 5,000 के अर्थदंड** की सजा दिलाई गई,,



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जलालपुर में पंजीकृत अ0सं0-77/2023, धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एफटीसी द्वितीय जनपद हमीरपुर द्वारा अभियुक्त दिनेश पुत्र किशन निवासी ग्राम कटेहरी थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर को **10 माह के कठोर कारावास व ₹5,000** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री प्रवीण
भदौरिया



विवेचक उ0नि0 श्री
नरेन्द्र कुमार यादव



पैरोकार जलालपुर
का0 श्री रवि तेवतिया